भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2293

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

†2293. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के दूरदर्शी विस्तार से वर्ष 2026 तक देशभर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में सफलतापूर्वक सुधार हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का विश्लेषण किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान धनराशि को व्यवस्थित रूप से जारी करने एवं इसके उपयोग से देशभर में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के स्तर में सुधार हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शहर और गाँव में अंतर को कम करने के लिए उन्नत डिजिटल नैदानिक सुविधाओं तथा एआई-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करके ओडिशा के कंधमाल जैसे आकांक्षी जिलों में इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा अपनी सराहनीय राष्ट्रीय प्रगति के आधार पर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तथा स्थानीय जनसंख्या हेतु बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की अवसंरचना एवं कार्यबल क्षमता को बढ़ाने हेतु किसी समयबद्ध कार्ययोजना पर विचार किए जाने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर प्राथमिक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं सहित जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार उपलब्ध संसाधनों एवं निर्धारित मानकों के अनुसार अभिलेख कार्यवाही (आरओपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। देश में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) एवं प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ कर 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कार्यशील किए जा चुके हैं। ओडिशा में कुल 7,379 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कार्यशील किए जा चुके हैं, जिनमें कंधमाल जिले के 221 एएएम शामिल हैं।

ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास तथा उपचारात्मक परिचर्या जैसी स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करते हैं। एएएम देशभर में चरणबद्ध रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के 12 सेवा पैकेज उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), उपशामक परिचर्या एवं वृद्धजन परिचर्या, सामान्य मानसिक विकारों के लिए परिचर्या, तंत्रिका संबंधी अवस्थाओं (मिर्गी, डिमेंशिया) तथा नशीले पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों (तंबाकू, शराब एवं मादक पदार्थ) का प्रबंधन, मुख स्वास्थ्य, कान-नाक-गला (ईएनटी) परिचर्या तथा बुनियादी आपातकालीन परिचर्या सेवाएं शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिक एवं मध्यम स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) विकसित किए गए हैं, जिनमें सेवाओं, अवसंरचना, मानव संसाधन, नैदानिक सुविधाओं, उपकरणों, औषधियों आदि के लिए मानकों सहित एक समान मानक निर्धारित किए गए हैं, ताकि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। ये मानक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अवसंरचना के नियोजन एवं उन्नयन के लिए संदर्भ मानक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करने हेतु एक ऑनलाइन मंच विकसित करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक का दीर्घकालिक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख तैयार किया जा सके तथा कंधमाल सहित आकांक्षी जिलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया जा सके।

देशभर के सभी संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाएं लोगों को उनके घर के निकट ही विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती हैं। इससे भौतिक पहुंच संबंधी कठिनाइयों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान होता है और सतत उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्बाध डेटा प्रवाह तथा उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'स्वस्थ भारत पोर्टल' प्रारंभ किया है, यह एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है, जो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तक एकल-खिड़की (सिंगल विंडो) के माध्यम से पहुंच प्रदान करता है, इससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर आंकड़ों की रिपोर्टिंग का भार कम होता है तथा रोगी परिचर्या को प्राथमिकता मिलती है। यह पोर्टल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आभा आईडी के माध्यम से लाभार्थियों का विवरण प्रबंधित करने तथा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध उनके दीर्घकालिक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख देखने की सुविधा भी प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य देशभर, विशेषकर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम), ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) तथा क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों (सीसीबी) के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास को सहायता प्रदान करना है। पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से अनुदान प्रदान करने की भी अनुशंसा की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जनजातीय, पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुदृढ़ करने के लिए मानदण्डों में शिथिलता प्रदान की गई है। इन क्षेत्रों में एसएचसी, पीएससी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की स्थापना के लिए जनसंख्या मानदंड क्रमशः 5,000, 30,000 एवं 1,20,000 से घटाकर 3,000, 20,000 एवं 80,000 कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रति 1,000 जनसंख्या पर एक के बजाए प्रति एक बस्ती के लिए एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की अनुमति दी गई है और मैदानी जिलों में अधिकतम 2 की तुलना में जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला अधिकतम 4 मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) की अनुमति दी गई है।
